न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

216

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1732—एक/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—05—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 335—बी—121/2002—03/निगरानी

.....

1— हरदयाल पुत्र छिद्दू कुशवाह
2— धर्मदास पुत्र छिद्दू कुशवाह
3— राधे पुत्र छिद्दू कुशवाह
4— अज्जुदी पुत्र छिद्दू कुशवाह
5— खुमान पुत्र रामदास कुशवाह
6— जमुना पुत्र रामदास कुशवाह
7— हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह
8— दयाराम पुत्र रामदास कुशवाह
9— रामदीन अहिरवार पुत्र सुटल्ला अहिरवार
10— श्रीमती सुमित्रा पत्नी रामदीन अहिरवार
11— नरेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र पहलवान सिंह ठाकुर,
समस्त निवासीगण—छिपरी , तहसील जतारा
जिला— टिकमगढ़, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़,
जिला — टीकमगढ़, म0प्र0 .....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0के0 शुक्ला, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 19-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी, जतारा द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़ को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि उप सरपंच मथुरा प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की जॉच करने पर पाया गया कि ग्राम छिपरी स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 7/2, 7/3 रकबा क्रमशः 2.00 व 2.00 है0 रमदू अहिरवार, रामदिन अहिरवार को बटंन में प्रदाय की गई थी, परन्तु पट्टेदारों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये उक्त भूमि का विक्रय कर दिया गया है। कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका उत्तर प्राप्त किया गया, तदुपरान्त मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) (ख) का उल्लंघन पाते हुए, अपने आदेश दिनांक 14.01.2003 द्वारा बंटन निरस्त करते हुए, भूमि पुनः शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । कलेक्टर, टीकमगढ़ के इसी आदेश से परिवेदित होकर निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर में प्रस्तुत की गई है। जहॉ प्रकरण क्रमांक 335/बी–121/2002–03/ निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 23.05.2007 को आदेश पारित कर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पर अत्याधिक व्यय एवं श्रम कर उसे उपजाउ बनाया गया है, ऐसी स्थिति में लगभग 3 वर्ष लंबे समय पश्चात स्वमेव निगरानी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2010 आर0 एन0 409 (मान0 उच्च न्यायालय पुर्ण न्यायपीठ) एवं 1998(1)म0प्र0 वीकली नोट्स 26 (मान0 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये) इसी विवादित भूमि पर एवं इन्हीं पक्षकारों के मध्य शासन की ओर से सिविल वाद क्रमांक 50ए/2002 प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में

शासन की ओर से स्वमेव निगरानी की कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती थी । सिविल वाद पूर्व में संस्थित हो गया था । शासन की ओर से प्रस्तुत सिविल वाद आदेश दिनांक 24.11.2004 द्वारा खारिज किया जा चुका है। सिविल न्यायालय का आदेश पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित होगा। कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 165 (7--ख) के अधीन पटट्ा निरस्त नहीं किया जा सकता और भूमि शासकीय घोषित नहीं की जा सकती । समर्थन में 2013 आर0एन0 8 (मान0 उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन्हीं विवादित भूमियों के विषय में म0प्र0 शासन द्वारा सिविल वाद क्रमांक 50 ए/2002 प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 24.11.04 खारिज किया गया है। सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165 (7--ख) के अधीन पटट्ा निरस्त कर भूमि शासकीय घोषित की गई है। जबकि संहिता की धारा 165(7--ख) के अधीन पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 आर0एन0 8 में यही न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संहिता की धारा 165(1--ख) के अधीन पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता । कलेक्टर एवं आयुक्त ने सिविल न्यायालय के आदेश को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा 2010 आर0एन0 409 में यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 180 दिन पश्चात स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट 26 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक वर्ष के भीतर भी स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण क्रमांक 335/बी–121/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 23.05.07 एवं कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ का प्रकरण क्रमांक 89/बी–121/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2003 निरस्त किये जाते है । परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसील न्यायालय, जतारा को निर्देश दिये जाते है कि आवेदकगण के नाम नामांतरण किया जावे। प्रकरण दाखिला दर्ज हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर